न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 187/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/335

प्रार्थीः–

विरमाराम पुत्र नारूजी जाति गुर्जर निवासी गांव खारची तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. त्रिलोकराम पुत्र बुधाराम जाति बावरी निवासी खारची गांव, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राजस्थान।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (पूर्व ग्राम पंचायत खारची)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल गहलोत।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र तिवारी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30|12|2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत खारची द्वारा संकल्प संख्या 02 दिनांक 21.01.2013 एवं उसकी पालना में त्रिलोकराम पुत्र बुधाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 08.02.2013 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से नियम 157(1) के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी मिसल पर पट्टा संख्या अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत ने 2486.25 वर्गफीट का पट्टा जारी किया है जबकि नियमों के तहत 100 वर्गगज तक का ही पट्टा जारी कर सकते है। उक्त पट्टा प्रार्थी की कृषि भूमि पर जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर बिना किसी आवेदन, किसी फीस, बिना मौका निरीक्षण किये जैर निगरानी पट्टा जारी किया। जैर निगरानी भूमि मौके पर खाली भूखण्ड है, जिसका ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष नियमानुसार आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर मौका निरीक्षण, नक्शा एवं नियमानुसार शुल्क पेश कर ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में स्थित है तथा मौके

अति. जिला कलेक्टर पाली

पर अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य किया हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने के दौरान यदि कोई तकनीकी त्रुटि रह जाती है तो अप्रार्थी उसके लिये दोषी नहीं है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत खारची द्वारा संकल्प संख्या 02 दिनांक 21.01.2013 एवं उसकी पालना में त्रिलोकराम पुत्र बुधाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 08.02.2013 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में जारी नहीं करके प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जारी किया हुआ है। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थी के उक्त कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायत की आबादी भूमि में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु प्रकरण में विकास अधिकारी, मारवाड़ जंक्शन से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.06.2025 का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टा खसरा संख्या 556 में स्थित है, जिसकी किस्म गैर मुमकिन आबादी है एवं प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 392 में स्थित है और अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा/अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का खारची की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2025 के अनुसार भी अप्रार्थी संख्या 1 का घर व बाड़ा खसरा संख्या 556 किस्म गै.मु.आबादी में स्थित है। उपर्युक्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा पंचायत की आबादी भूमि में ही जारी किया गया है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा अतिक्रमण नहीं हुआ है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन तथ्यों एवं साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टा नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है लेकिन मौके पर पुराना मकान नहीं है और उक्त नियम में पट्टा 100 वर्गगज से अधिक का जारी नहीं कर सकते लेकिन ग्राम पंचायत ने 2486.25 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवदेन किया कि मौके पर पुराना मकान विद्यमान है एवं नियम 157(1) के तहत 300 वर्गगज तक के पट्टे जारी किये जाने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2025 के बिन्दु संख्या 5 में वर्णितानुसार अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूखण्ड पर 50 वर्ष से अधिक समय से कब्जा होने एवं पुराना मकान होने की स्थिति में उक्त पट्टा जारी किया गया, साथ ही रिपोर्ट संलग्न फोटोग्राफ्स एवं अन्य दस्तावेजों में वर्णित तथ्यों से जाहिर होता है कि मौके पर अप्रार्थी का पुराना मकान विद्यमान है। इसके अतिरिक्त राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अनुसार नियम 157(1) के अनुसार जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पट्टे के सम्बन्ध में निर्णयों में यह सिद्धान्त लागू होते है कि लोकहित और पट्टाधारक की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। पट्टाधारक ने ग्राम पंचायत के आदेश पर भरोसा किया और भूमि पर निवेश किया, इस भरोसे को कानून सुरक्षा देता है। इसे 'लेगिटिमेट एक्सपेक्टेशन' भरोसे का सिद्धान्त कहा जाता है। साथ ही जैर निगरानी पट्टे का पंजीकरण एक सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो वैधता की पुष्टि करता है। इसी प्रकार माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1967 SC 931 कृष्ण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भूमि से सम्बन्धित सरकारी आदेशों पर भरोसा करने वाले व्यक्ति को न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है जब तक आदेश को कानूनन निरस्त न किया गया हो। इसी प्रकार AIR 1967 SC 1715 हरियाणा राज्य बनाम करण सिंह में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कि सरकार द्वारा भूमि के पट्टे जारी करने में तकनीकी त्रुटि होने पर सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के कारण पट्टाधारक के हित की रक्षा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त Ghewar Chand & Anr. vs State of Rajasthan & Ors., 2017 में स्पष्ट किया कि तकनीकी या प्रांरभिक त्रुटि के आधार पर पट्टे को रद्द करना न्यायोचित नहीं है, खासकर जब पट्टा जारी किया जा चुका हो और अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यक पूर्ण हो चुकी हो, लिहाजा प्रकरण में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई जो विधिसम्मत है।

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे सत्यापन हेतु दो स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये गये, जिसमें उन्होनें जैर आराजी पर निर्मित मकान को अप्रार्थी का पुराना कब्जा सुदा होना बताया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, उसे सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया गया और आपत्तियां आंमत्रित की गयी परन्तु निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया। हालांकि प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के दौरान कुछ तकनीकी त्रुटियां रहीं है परन्तु माननीय न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि केवलमात्र तकनीकी त्रुटि के आधार पर पट्टे को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त State of Rajasthan vs Ram singh, 1978 में यह सिद्धान्त प्रतिपाद्धित किया कि जब पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है और प्रक्रिया पूरी होती है, तो केवल कुछ तकनीकी त्रुटि जैसे पंचों का नाम अंकित न होना, पट्टे की वैधता प्रभावित नहीं करता। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी मामूली त्रुटि को सुधार किया जा सकता है, और पट्टा रद्द करना उचित नहीं होगा। इसी तरह अन्य न्यायिक दृष्टान्त AIR 1966 SC 1060 K.C.Jmes vs State of Kerala के अनुसार अगर भूमि सम्बन्धी दस्तावेज सही ढंग से जारी हो गए है, और कोई धोखाधडी या गडबडी नहीं हुई है तो केवल प्रक्रिया सम्बन्धी तकनीकी दोष के आधार पर दस्तावेज को रद्द नहीं किया जा सकता। इसी तरह AIR 1979 SC 1532 Raj Kumar Sharma vs Union of India में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भूमि के सम्बन्ध में प्रशासनिक निर्णयों में यदि प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो और कोई

अति. जिला कलेक्टर पाली

धोखाधडी सिद्ध न हो, तो निर्णय को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी त्रुटि को सुधार की गुंजाइश मानी गई है, रद्द करने का कारण नहीं तथा इसी तरह माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त Ram Narain vs State of Rajasthan, 2013 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में अगर केवल तकनीकी कमियां हैं, तो पट्टा यथावत माना जाएगा। हस्तगत प्रकरण की वस्तुस्थिति पर उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्त पूर्णतया चस्पा होते है। साथ ही जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल में समस्त आज्ञा दिनांक के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या का अंकन है, जो प्रश्नगत पट्टे को यथावत् रखने का मजबूत आधार प्रदान करता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने के दौरान पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की पालना की है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधिसम्मत है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत खारची द्वारा संकल्प संख्या 02 दिनांक 21.01.2013 एवं उसकी पालना में त्रिलोकराम पुत्र बुधाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 08.02.2013 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली